संख्या-13/20/1/91/का-2/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक:04 नवम्बर, 2015

विषय- भर्ती/नियुक्ति पर प्रतिबंध।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-20/1/91/का-2-2012, दिनॉक 15-03-2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को छोड़कर) तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

2 शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शैक्षिक पद अत्यधिक संख्या में रिक्त हैं। पर्याप्त शिक्षकों के अभाव में शैक्षिक कार्य गुणवत्तापूर्वक नहीं किया जा सकता है। उक्त पदों को भरा जाना आवश्यक है।

3 उक्त तथ्य के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरांत शिक्षा विभाग के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के रिक्त पड़े शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती करने हेतु कार्मिक विभाग के उक्त वर्णित शासनादेश दिनॉक 15-03-2012 के प्रतिबंध से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4 उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

[redacted]

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in